अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 739 सन् 2024,
मोनू राघव उर्फ मोनी पुत्र राजकुमार राघव,
निवासी ग्राम सलैमपुर पहाड़गढ़ी, थाना अरनियॉ, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।
.....आवेदक–अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–304 सन् 2023,
अ0 धाराः–392, 411, 120बी भा0द0सं0,
थाना–अरनियॉ, जिला–बुलन्दशहर

–:: निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र ::–

आवेदक–अभियुक्त मोनू राघव उर्फ मोनी द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

आवेदक–अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर कहा गया है कि वह निर्दोष है उसे उपरोक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। उसके विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में कोई जुर्म नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वह नामजद नहीं किया गया है। मु.अ.सं.–304 सन् 2023 थाना अरनियॉ पर अन्तर्गत धारा–393 भा.दं.सं. में अज्ञात में दर्ज किया गया। उसका नाम उक्त मुकदमा अपराध में दौरान विवेचना में सहअभियुक्त के बयानों में आया है, जोकि रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। उक्त मु.अ.सं. में दौरान विवेचना धारा–392, 411, 120बी भा.दं.सं. की वृद्धि की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा से किसी भी प्रकार की कोई लूट नहीं दर्शायी गयी है, जबकि केवल अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट का प्रयास करना बताया है। उसको उक्त मु.अ.सं. में धारा–120बी भा.दं.सं. का अभियुक्त बनाया गया है। अतः अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की है।

अभियोजन की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है।

प्राथमिकी के अनुसार वादी मुकदमा दुर्गेश शर्मा पुत्र विजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम अलीपुर मोहरिया, सासनी कोतवाली, हाथरस ने थाना अरनियॉ, जिला बुलन्दशहर पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि वह दुर्गेश शर्मा पुत्र विजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी अलीपुर मोहरिया सासनी हाथरस का रहने वाला है। वह वडागांव से खुर्जा जा रहा था तो वडागांव अडरपास के नीचे कुछ लोग दो मोटरसाईकिल पर आये उससे बैग लूटने का प्रयास किया किसी भी तरह छूटकर भाग कर थाने आया हूँ।

दोनों पक्षों द्वारा दिये गये उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट, उपलब्ध सम्पूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार वादी मुकदमा दुर्गेश शर्मा पुत्र विजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम अलीपुर मोहरिया, सासनी कोतवाली, हाथरस ने थाना अरनियॉ, जिला बुलन्दशहर पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि कुछ लोगों द्वारा उससे बैग लूटने का प्रयास किया गया।

माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **क्रिमिनल अपील संख्या सन् 2023 {एस.एल.पी (क्रिमिनल) संख्या 376 सन् 2023} महदूम बावा बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** में दिनांक 20.03.2023 के पैरा संख्या 10 व 12 में निम्नलिखित विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

10. More importantly, the appellants apprehend arrest, not at the behest of the CBI but at the behest of the Trial Court. This is for the reason that in some parts of the country, there seems to be a practice followed by Courts to remand the accused to custody, the moment they appear in response to the summoning order. The correctness of such a practice has to be tested in an appropriate case. Suffice for the present to note that it is not the CBI which is seeking their custody, but the appellants apprehend that they may be remanded to custody by the Trial Court and this is why they seek protection. We must keep this in mind while deciding the fate of these appeals.

12. In view of the aforesaid, we are of the considered view that the appellants are entitled to be released on bail, in the event of the Court choosing to remand them to custody, when they appear in response to the summoning order. Therefore, the appeals are allowed and the appellants are directed to be released on bail, in the event of their arrest, subject to such terms and conditions as may be imposed by the Special Court, including the condition for the surrender of the passport, if any.

विधि व्यवस्था **राजस्थान राज्य(जयपुर) बनाम बालचन्द(1977) 4 एस.सी.सी. 308** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः–

"That the basic rule of our criminal justice system is "bail, not jail."

विधि व्यवस्था **दाताराम बनाम उ0प्र0राज्य 2019(1) एम0पी0एल0जे0 25 (2018) 13 एस0सी0सी0 22** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

"That a fundamental postulate of criminal jurisprudence is the presumption of innocent meaning thereby that a person is believed to the innocent until found guilty.

विधि व्यवस्था **साधना चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 2022(3) सी.सी.एस.सी. 1494 (एस0सी0)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

Anticiapatory bail granted can, depending on the conduct and behaviour of the accused , continue after filing of the charge-sheet till end of trial.

प्रस्तुत मामले की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी। तथाकथित घटना के बाद दिनांक 29.12.2023 को ही मुखबिर की सूचना पर शिवा राघव, विकास, अभय राघव व विशाल की गिरफ्तारी की गयी और उनके इकबालिया बयान के आधार पर आवेदक–अभियुक्त को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। केस डायरी के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि आवेदकगण–अभियुक्तगण के कब्जे से जो बरामदगी दर्शायी गयी है उसका कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। केस डायरी एवं फर्द बरामदगी के अनुसार आवेदक–अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना अभी प्रचलित है। केस डायरी से यह प्रकट होता है कि मामले के विवेचक द्वारा आवेदक–अभियुक्त के घर ग्राम सलेमपुर पहाड़गढी, थाना खुर्जा देहात, जनपद बुलन्दशहर पर दबिश देकर गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में आवेदक–अभियुक्त की गिरफ्तारी की आशंका परिलक्षित होती है। आवेदक–अभियुक्त की किसी भी मामले में पूर्व दोषसिद्धि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। प्रस्तुत मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। सहअभियुक्त की नियमित जमानत स्वीकृत हो चुकी हैं।

अतः मामले के तथ्य एंव परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक–अभियुक्त की दैहिक स्वतन्त्रता, अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए आवेदक–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक–अभियुक्त मोनू राघव उर्फ मोनी द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त को, उसके द्वारा अंकन 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय में निष्पादित किये जाने पर निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाये :–

1. आवेदक–अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगा।
2. आवेदक/अभियुक्त दौरान विवेचना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा तथा मुकदमे के विचारण के दौरान भी वह तलब किये जाने पर उपस्थित होगा तथा अतिशीघ्र विचारण पूर्ण करने में अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त, अभियोजन में से किसी भी साक्षीगण को किसी भी तरह से कु–प्रभावित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त, विचारण के दौरान साक्षीगण के उपस्थित होने पर विशेष अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अलावा कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त विवेचना अथवा विचारण के दौरान अपना सामान्य निवास स्थान नहीं बदलेगा और यदि किन्हीं परिस्थितियों में सामान्य निवास स्थान बदलने की अवस्था में अपने नये पते की सूचना विवेचक/न्यायालय को देगा।
6. आवेदक/अभियुक्त अपना पासपोर्ट आदि यदि कोई हों, न्यायालय में अविलम्ब दाखिल करेगा तथा उसका पासपोर्ट न्यायालय की अभिरक्षा में रहेगा, वह न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये बगैर देश नहीं छोड़ेगा, प्रदेश छोड़ने की दशा में भी वह विवेचक/न्यायालय को सूचित करने के उपरान्त ही प्रदेश की सीमा से बाहर जा सकेगा।
7. आवेदक/अभियुक्त किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर विचारण न्यायालय आवेदक–अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त करने हेतु उचित कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र रहेगा।

दिनांकः 14.02.2024

(दानिश हसनैन)
अपर सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, न्याय कक्ष सं० 01,
बुलन्दशहर।
J.O. Code-UP2727

(बोबी कुमार, आशुलिपिक)